प्ररूप 7

अंग या ऊत्तक गिरवी रखने के लिए

(18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति द्वारा भरा जाए)

[नियम 5 (4) (क) देखें]

अंग (अंगों) और ऊत्तक (ऊत्तकों) दाता प्ररूप

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

रजिस्ट्रीकृत संख्यांक (अंगदाता रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाए).....

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... आयु ..... और जन्म की तारीख ..... का निवासी नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में, चिकित्सीय विशेषज्ञों की बोर्ड द्वारा मस्तिष्क स्तंभ को मृत घोषित किये जाने के पश्चात् अपने शरीर से निम्नलिखित अंग (अंगों) और या ऊत्तक (ऊत्तकों) को निकाले जाने हेतु सुस्पष्ट रूप से प्राधिकृत करता हूँ और चिकित्सीय प्रयोजन के लिए उनका दान करने की सहमति देता हूँ।

(निम्नलिखित ऊत्तकों को मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु के साथ हृदयीक मृत्यु के पश्चात् भी दान किया जा सकता है)

हृदय	.....	कोर्निया/आंख की पुतलियां	.....
फेफड़े	.....	त्वचा	.....
गुर्दे	.....	हड्डियां	.....
यकृत	.....	हृदय पम्प	.....
अग्नाशय	.....	रक्त वाहिनियां	.....
कोई अन्य अंग (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	.....	कोई अन्य अंग (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	.....
सभी अंग	.....	सभी ऊत्तक	.....

मेरा रक्त समूह (यदि ज्ञात हो) ..... है।

गिरवी रखने वाले के हस्ताक्षर .....

पत्र व्यवहार का पता .....

.....

दूरभाष सं0 .....

ईमेल पता .....

तारीख .....

(टिप्पणः गिरवी के आनलाइन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की दशा में, जहां गिरवी रखा गया है, वहां गिरवी को प्रति गिरवी रखने वाले के द्वारा तथा एक प्रति संस्था द्वारा रखी जाएगी और गिरवी रखने वाले व्यक्ति के द्वारा तथा दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित एक हार्ड प्रति नोडल संगठन को भेजी जाएगी।)

(गवाह 1 के हस्ताक्षर)
1. श्रीमती/कु0 ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु.....
निवासी .....दूरभाष नं0 .....
ईमेल पता..... .....

(गवाह 2 के हस्ताक्षर)
1. श्रीमती/कु0 ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु.....
निवासी ..... दूरभाष नं0 .....
ईमेल पता..... ..... के रूप में दाता के निकट रिश्तेदार हैं।

तारीख.....
स्थान .....

टिप्पण : (i) अंगदान एक पारिवारिक निर्णय है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने निर्णय के बारे में परिवार के सदस्यों और अपने प्रियों से चर्चा करें जिससे उनके लिए आपकी इच्छाओं का पूरा करना ज्यादा आसान होगा।
(ii) गिरवी प्रारूप/गिरवी कार्ड की एक प्रति अपने–अपने नेटवर्किंग संस्थान के पास होना चाहिए, एक प्रति उस संस्था द्वारा, जहां गिरवी रखा गया है, रखी जानी चाहिए और एक प्रति गिरवी रखने वाले को हस्तान्तरित होनी चाहिए।
(iii) वह व्यक्ति जो गिरवी रख रहा है के पास गिरवी को वापस लेने का विकल्प है।